


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक-8-11-16

संख्या-14/पद-203/2016, सा0प्र0 15053...../भारत सरकार द्वारा निर्गत राजपत्र कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिबंध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा-5 तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प सं0-17903 दिनांक- 29.12.2014 में वर्णित दिशा निर्देश के आलोक में सभी जिला के जिला पदाधिकारी को अधिनियम के तहत कार्यों के निष्पादन हेतु तत्काल प्रभाव से अपने जिला क्षेत्र के लिए जिला अधिकारी अधिसूचित किया जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


(भीम प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक -14/पद -203/2016, सा0प्र0 15053...../पटना-15, दिनांक-8-11-16

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।